



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-83

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 267724 दिनांक 19/11/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Devendra Kumar Meena S/o Jagmohan Meena एवं Hemendra Kumar Meena S/o Jagmohan Meena	श्री मनोहर लाल कुक्कड पुत्र श्री मुकन्द लाल कुक्कड	84	200.00 SQ. YARD	Private	GAYATRI ENCLAVE Sector/Block-	Name Transfer	निजी खातेदारी की योजना गायत्री एनक्लेव के भूखण्ड संख्या 84 क्षेत्रफल 200.00 वर्गगज की लीजडीड दिनांक 04.11.2009 को श्री मनोहर लाल कुक्कड पुत्र श्री मुकन्द लाल कुक्कड के नाम से जारी की गई। तत्पश्चात उक्त भूखण्ड का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.08.2024 को श्री मनोहर लाल कुक्कड पुत्र श्री मुकन्द लाल कुक्कड के द्वारा श्रीमती सरोज गुप्ता पत्नि श्री रमेश चन्द गुप्ता को कर दिया गया। तत्पश्चात इकरारनामा पत्र दिनांक 08.10.2025 को श्रीमती सरोज



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

गुप्ता पत्नि श्री
रमेश चन्द गुप्ता
को कर दिया
गया। तत्पश्चात
उक्त भूखण्ड का
बैचान जरिये
रजिस्टर्ड विक्रय
पत्र दिनांक
17.10.2025 को
श्रीमती सरोज
गुप्ता पत्नि श्री
रमेश चन्द गुप्ता
द्वारा श्री देवेन्द्र
कुमार मीना एवं
श्री हेमेन्द्र कुमार
मीना पुत्रान् श्री
जगमोहन मीना के
पक्ष में कर दिया
गया। आवेदक
द्वारा नाम
हस्तान्तरण हेतु
आवेदन किया
गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Devendra Kumar Meena S/o Jagmohan Meena एवं Hemendra Kumar Meena S/o Jagmohan Meena को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।

2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पश्चात समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।